...लय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

...पत्र संख्या :—54 / 2022 दायर दिनांक— 18.4.2022
...S NO:- 2022/105 पीठासीन अधिकारी :— श्रीमती प्रीति मीणा

बाबूलाल आ0 गांगीलाल जाति गुर्जर नि0 हापोलाई तहसील नैनवॉ।

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब नैनवॉ तहसील नैनवॉ

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्रः— अंतर्गत धारा 111, 128 एल आर एक्ट

उपस्थितिः—
प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री रामबाबू शर्मा।।

निर्णय दिनांक 17.06.2025

—:निर्णयः—

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम हापोंलाई प.म. मोडसा मे खसरा नम्बर 1619 / 1328 रकबा 0.8090 हैक्टयर भूमि स्थित है जो प्रार्थी के खातेदारी की भूमि है। उक्त भूमि पर आस पडौस के खेत वाले व्यक्ति प्रार्थी की भूमि की सीमाओं को लेकर आये दिन विवाद करते रहते है। दिनांक 4.4.2022 को भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद करने लगे तथा प्रार्थी की भूमि पर जबरदस्ती सीमाओं की मेरों को तोडकर कब्जा करने लग गये। प्रार्थी को उसकी सीमा की सीमाओं को ज्ञान नही होने से आस पास के व्यक्ति लडाई झगडा करते है इस कारण पत्थरगढी किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी की प्रति पेश कर धारा 111, 128 एलआर एक्ट के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश पत्थरगढी करवाये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। बहस सूनी गयी। प्राथी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम हापोंलाई प.म. मोडसा मे खसरा नम्बर 1619 / 1328 रकबा 0.8090 हैक्टयर भूमि स्थित है जो प्रार्थी के खातेदारी की भूमि है। उक्त भूमि पर आस पडौस के खेत वाले व्यक्ति प्रार्थी की भूमि की सीमाओं को लेकर आये दिन विवाद करते रहते है जिससे प्रार्थी की भूमि की पत्थरगढी करवाया जाना आवश्यक है। हमने पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा पाया कि प्रार्थना पत्र को चलते लगभग 03 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है जबकि यह एक समरी ट्रायल प्रार्थना पत्र है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नैनवॉ को इस आशय के साथ आदेशित किया जाता हैं कि ग्राम हापोंलाई प.म. मोडसा मे खसरा नम्बर 1619 / 1328 रकबा 0.8090 हैक्टयर भूमि पर प्रार्थी का यदि संपूर्ण हिस्से पर कब्जा पाया जाता है तो नायब तहसीलदार अथवा भू—अभिलेख निरीक्षक स्तर के अधिकारी की टीम गठित कर व आवश्यक हो तो पुलिस इमदाद प्राप्त कर 500 / — रूपये अक्षरे पांच सौ रूपये शुल्क राजकोष में जमा कराने पर पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 17.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवा